न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 10/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर। प्रार्थी

बनाम

सन्तोष पुत्री भैरू जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 ग्राम प्रतापपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 24.6.25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा हाल जोबनेर ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम प्रतापपुरा, पटवार हल्का जोरपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 118/2 रकबा 1.2645 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 सन्तोष पुत्री भैरू जाति कुम्हार (प्रजापति) हिस्सा सम्पूर्ण नि० ग्राम प्रतापपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का जोरपुरा, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार सन्तोष पुत्री भैरू जाति कुम्हार (प्रजापति) का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना की है। अतः आवंटन नियमो की शर्तो का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। तामील रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के नाम का कोई व्यक्ति दर्ज पते पर नहीं रहता है। अप्रार्थी के रजि0 नोटिस जारी किये गये जो अदम तामील प्राप्त हुए। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। किन्तु प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा रिकार्ड तथा अप्रार्थी के सही पते की सूचना नही भिजवाई गई तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज दिनांक से 10 वर्षों की खसरा गिदावरी व आवंटन रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा हाल जोबनेर का रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जॉच कर आवंटियों के पूर्ण पते व वांछित आवंटन रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24.6.25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर